सेंट्रल सेक्टर की स्कीम 'पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम में एमएसएमई का संवर्धन' के लिए दिशा-निर्देश

1. परिचय:

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय देश में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्मों के विकास के लिए कार्य कर रहा है। पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम में एमएसएमई के विकास पर फोकस करते हुए दिनांक 02.08.2016 को 'पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम में एमएसएमई का संवर्धन'' नाम की एक विशेष स्कीम अनुमोदित की गई थी। इस स्कीम को दिनांक 16.01.2018 को तैयार की गयी नई सेंट्रल सेक्टर की स्कीम 'प्रौद्योगिकी और उद्यम संसाधन केंद्र'' के घटक के रूप में गठित किया गया था। स्कीम घटक के प्रचालन दिशा-निर्देश संशोधित किए गए और उन्हें दिनांक 15.01.2019 को जारी किया गया। एमएसएमई क्षेत्र पर कोविड-19 महामारी के प्रभाव और 'आत्म निर्भर भारत अभियान', 'वोकल फॉर लोकल टू ग्लोबल', जीरो इफेक्ट जीरो डिफेक्ट और एक्ट ईस्ट पॉलिसी जैसी भारत सरकार की विभिन्न पहलों द्वारा स्वदेशी विनिर्माण और सेवा क्षेत्र को बढ़ावा देने के पश्चात स्कीम के दिशा-निर्देशों के संशोधन की आवश्यकता थी। एमएसएमई-डेवलपमेंट इंस्टिट्यूटसज, राज्य कार्यान्वयन एजेंसियों और राज्य सरकार के विभिन्न अदारों के साथ विभिन्न चर्चाओं में प्राप्त सुझावों में स्कीम दिशा-निर्देशों को सरल बनाने की प्रक्रिया तैयार हुई ताकि विभिन्न प्रक्रियाओं के चरणों को कम किया जा सके और परियोजना के अनुमोदन के लिए आवश्यक समय को कम किया जा सके जिससे स्कीम के कार्यान्वयन को बेहतर बनाने में सहायता की जा सके। इससे राज्य सरकारों को परियोजना की पहचान, कार्यान्वयन करना एवं स्थानीय उद्योगों (विशेषकर सूक्ष्म उद्यमों) पर प्रभाव की निगरानी में अधिक भागीदारी निभाने की जरूरत है।

2. स्कीम के संशोधित दिशा-निर्देश:

"पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम में एमएसएमई का संवर्धन" स्कीम के ये संशोधित दिशानिर्देश पिछले दिशानिर्देशों के अधिक्रमण में जारी किए गए हैं और इसमें अन्य बातों के साथ-साथ कार्यविधियां और फंडिंग पैटर्न शामिल हैं। दिशानिर्देश भावी रूप में जारी होने की तारीख से प्रभावी होंगे। पिछली देनदारियां स्कीम के पिछले दिशानिर्देशों के अनुसार निपटाई जाएगीं। एमएसएमई मंत्रालय आवश्यकता के आधार पर दिशानिर्देशों में संशोधन कर सकता है।

3. स्कीम के घटक:

भारत सरकार द्वारा अनुमोदित 'पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम में एमएसएमई का संवर्धन' स्कीम के निम्न घटक हैं:-

3.01 नए लघु प्रौद्योगिकी केंद्रों की स्थापना और मौजूदा लघु प्रौद्योगिकी केंद्रों का आधुनिकीकरण:

उद्देश्य: स्कीम में नए टूल रूम/लघु प्रौद्योगिकी केंद्रों की स्थापना और मौजूदा टूल रूम/प्रौद्योगिकी केंद्रों के आधुनिकीकरण के लिए राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता प्रदान करने की

परिकल्पना है। एनईआर और सिक्किम में उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों जैसे फल, मसाले, कृषि, वानिकी, रेशम उत्पादन और बांस आदि के पूरकविनिर्माण, परीक्षण, पैकेजिंग, अनुसंधान एवं विकास, उत्पाद और प्रक्रिया नवाचारों और प्रशिक्षण के लिए सामान्य सुविधाओं के सृजन की परियोजना को प्राथमिकता दी जाएगी। परियोजना की जियो टैगिंग अनिवार्य है।

वित्तीय सहायता: भारत सरकार की अधिकतम सहायता 13.50 करोड़ रुपए या परियोजना लागत का 90% जो भी कम हो, होगी, शेष और यदि कोई अतिरिक्त राशि हो तो वह राज्य सरकार द्वारा प्रदान की जाएगी। भारत सरकार की सहायता के कुल अनुमत के भीतर अवसंरचना के उन्नयन के लिए निर्माण लागत 1.00 करोड़ रुपए तक होगी। भारत सरकार की वित्तीय सहायता में भूमि की लागत शामिल नहीं होगी।

3.02 नए और मौजूदा औद्योगिक संपदाओं का विकास:

उद्देश्य: नए और मौजूदा औद्योगिक संपदाओं, फ्लैटेड फैक्ट्री कॉम्पलैक्स के विकास के लिए भारत सरकार की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। अवसंरचना सुविधाओं में विधुत वितरण तंत्र, जल, दूरसंचार, जलनिकास और प्रदूषण नियंत्रण सुविधाएं, सड़क, भण्डारण और विक्रय आउटलेट आदि शामिल होंगे। परियोजना की जियो टैगिंग अनिवार्य है।

वित्तीय सहायता: नए औद्योगिक संपदा के विकास के लिए भारत सरकार की वित्तीय सहायता 13.5 करोड़ रुपए तक की सीमा या मौजूदा औद्योगिक संपदाओं के विकास के लिए 9.00 करोड़ रुपए अथवा परियोजना लागत का 90% जो भी कम हो, तक ही प्रदान किया जाएगा, शेष और अतरिक्त राशि यदि हो तो उसे राज्य सरकारों द्वारा प्रदान किया जाएगा।

3.03 पर्यटन क्षेत्र का विकास:

उद्देश्य: पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम में पर्यटन क्षेत्र की अपार संभावनाओं को देखते हुए, होमस्टे के कलस्टरों में रसोई, बेकरी, लॉन्ड्री और ड्राई क्लीनिंग, रेफ्रिजरेशन और कोल्ड स्टोरेज, आईटी इंफ्रा, पीने योग्य पानी, स्थानीय उत्पादों के लिए प्रदर्शन केंद्र, सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए केंद्र जैसी सामान्य सेवाओं के निर्माण के लिए परियोजनाओं आदि पर विचार किया जा सकता है। स्थानीय एमएसई के साथ परियोजनाओं का इसमें लिंकेज रखा जाएगा। पर्यटन विकास के लिए राज्य पर्यटन विकास एजेंसियों या केंद्रीय/राज्य स्वायत्त निकायों की परियोजनाओं को अनुमति दी जाएगी।

निम्नलिखित अधिदेशित आवश्यकताएं होंगी-

क. परियोजना की जियोटेगिंग;

ख. पर्यटन मंत्रालय द्वारा डीपीआर का अधिप्रमाणन;

ग. न्यूनतम लाभार्थियों की संख्या- 10 एमएसई (पर्यटन सेवाओं में)

घ. लाभार्थियों को अनिवार्य रूप से किसी भी प्रसिद्ध ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म से जोड़ा जाना चाहिए।

वित्तीय सहायता: भारत सरकार की अधिकतम सहायता 4.50 करोड़ रुपए या परियोजना लागत का 90% जो भी कम हो होगी शेष और अतिरिक्त राशि यदि हो तो उसे राज्य सरकार द्वारा प्रदान किया जाएगा।

4. प्रस्तावों की प्रक्रिया के लिए कार्यविधि और निधियों को जारी करना:

4.01 लघु प्रौद्योगिकी केंद्र

जहां तक टूल रूम/लघु प्रौद्योगिकी केंद्र का संबंध है, संस्वीकृति के लिए कार्यप्रणाली निम्नानुसार होगी:

4.01.1 योजना के तहत वित्तीय सहायता प्राप्त करने की इच्छुक राज्य सरकार, परियोजना को लागू करने के लिए एक प्रस्ताव तैयार करेगी और एक एजेंसी की पहचान करेगी, उद्योग और वाणिज्य विभाग या कोई राज्य सरकार के संगठन जो एमएसएमई के संवर्धन में कार्यरत हों ऐसी एजेंसी को वरीयता दी जाएगी। इस स्तर पर किसी भी सहायता की आवश्यकता होने पर, वे विकास आयुक्त (एमएसएमई), नई दिल्ली के कार्यालय या इसके क्षेत्रीय कार्यालयों अर्थात एमएसएमई-डीएफओ से संपर्क कर सकते हैं।

4.01.2 राज्य सरकार एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार करेगी जिसमें क्षेत्र के उद्यमों की स्थिति और क्षमता, प्रस्तावित स्थान, सेवा प्रदान किए जाने वाले क्षेत्र की मांग का विश्लेषण, परियोजना का उद्देश्य, दी जाने वाली सेवाएं, संगठनात्मक संरचना, पूंजीगत लागत (भवन, संयंत्र और अन्य बुनियादी सुविधाओं सहित) परिचालन व्यय, कुल मिनी प्रौद्योगिकी केंद्र की अनुमानित लागत, फंडिंग पैटर्न, कार्यान्वयन एजेंसी, परियोजना की तकनीकी-आर्थिक व्यवहार्यता का संकेत नकदी प्रवाह विश्लेषण और परियोजना के तहत सहायता प्राप्त करने वाले एमएसएमई के राजस्व के प्रतिशत में वृद्धि और सृजित रोजगार के अवसरों की संख्या जैसे पहलुओं को शामिल करेगी। एमएसएमई-डी आई डीपीआर तैयार करने में राज्य सरकार की सहायता कर सकते हैं। राज्य सरकार परियोजना के लिए आवश्यक संयंत्र और मशीनरी निर्दिष्ट करने के लिए एक समिति का गठन करेगी।

4.013 भारत सरकार को डीपीआर के साथ प्रस्ताव (अनुलग्नक-। क' में निर्धारित प्रारूप में) अग्रेषित करते समय, राज्य सरकार पुष्टि करेगी कि:

(i) अनुमेय अनुदान के अतिरिक्त शेष लागत और आवर्ती लागत राज्य सरकार द्वारा वहन की जाएगी। परियोजना वृद्धि लागत, यदि कोई हो, राज्य सरकार द्वारा वहन की जाएगी।

(ii) डीपीआर पर हितधारकों की टिप्पणियों सहित संबंधित एमएसएमई-डीएफओ के माध्यम से प्रस्ताव भेजा जाना चाहिए।

4.01.4 प्रस्ताव प्राप्त होने पर, विकास आयुक्त (एमएसएमई) का कार्यालय ऑनलाइन प्रस्ताव की जांच करेगा और यदि कोई विसंगति है, तो प्रस्ताव प्राप्त होने के 20 दिनों के भीतर राज्य सरकार को सूचित किया जाएगा। इसके बाद वि.आ. कार्यालय (एमएसएमई) परियोजना का अनुमोदन 'परियोजना अनुमोदन और निगरानी समिति' से प्राप्त करने के लिए एक नोट तैयार करेगा।

4.01.5 'परियोजना अनुमोदन और निगरानी समिति' (पी ए एम सी) जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं, प्रस्ताव पर विचार और अनुमोदन करेगी:

1.	सचिव (एमएसएमई)	अध्यक्ष
2.	अपर सचिव एवं विकास आयुक्त (एमएसएमई)	सदस्य
3.	अपर सचिव एवं वित्त सलाहकार या उनका प्रतिनिधि	सदस्य
4.	पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय का प्रतिनिधि	सदस्य
5.	खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय का प्रतिनिधि	सदस्य
6.	ग्रामीण विकास मंत्रालय का प्रतिनिधि	सदस्य
7.	पर्यटन मंत्रालय के प्रतिनिधि	सदस्य
8.	वस्त्र मंत्रालय के प्रतिनिधि	सदस्य
9.	उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग के प्रतिनिधि	सदस्य
10.	संबंधित राज्य के प्रतिनिधि	सदस्य
11.	अपर विकास आयुक्त (योजना)	सदस्य
12.	एमएसएमई मंत्रालय के निदेशक (स्फूर्ति), निदेशक (क्लस्टर विकास) और निदेशक (टूल रूम/टीसीएसपी/टीसीईसी)	सदस्य
13.	संबंधित एमएसएमई-डीएफओ के निदेशक/ कार्यालयाध्यक्ष	सदस्य
14.	संयुक्त विकास आयुक्त/निदेशक (योजना)	सदस्य सचिव

4.01.6 पी ए एम सी, प्रस्ताव पर विचार और अनुमोदन करते समय, अध्यक्ष (पीएएमसी) के अनुमोदन से समिति में किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति/विशेषज्ञ को सहयोजित कर सकती है ।

4.01.7 पी ए एम सी द्वारा प्रस्ताव को मंजूरी दिए जाने के बाद, परियोजना की औपचारिक अनुमोदन राज्य सरकारों को दी जाएगी।

क) केंद्रीय सहायता, राज्य परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी को जारी की जाएगी। कार्यान्वयन की योजना की गई प्रगति, निधियों की आवश्यकता आदि के आधार पर अंतिम स्वीकृति के बाद 50:40:10 के

अनुपात में तीन किश्तों में कार्यान्वयन एजेंसी को धनराशि जारी की जाएगी। संबंधित राज्य में उद्योग निदेशालय के प्रतिनिधि या एमएसएमई के शामिल करते हुए संवर्धन में कार्यरत राज्य सरकार के संगठन और कार्यान्वयन एजेंसी के एक प्रतिनिधि को लेकर एमएसएमई-डीआई के निदेशक/कार्यालय प्रमुख की अध्यक्षता में गठित समिति की सिफारिश के बाद अनुपात के रूप में राज्य सरकार द्वारा अपफ्रंट योगदान के बाद ही धनराशि जारी की जाएगी।

ख) कार्यान्वयन एजेंसी के सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों वाले परियोजना के लिए निर्धारित विशिष्ट बैंक के खाते में धनराशि जारी की जाएगी।

ग) कार्यान्वयन एजेंसियों को अगली किस्त से पूर्व और परियोजनाओं के पूरा होने के 6 महीने के भीतर अंतिम यूसी जारी करने से पहले फॉर्म जीएफआर12सी (अनुलग्नक-II के अनुसार) में उपयोगिता प्रमाण पत्र (यूसी) समय पर जमा करना होगा।

घ) राज्य सरकार द्वारा गठित समिति द्वारा निर्धारित जीएफआर और सीवीसी दिशानिर्देशों के अनुसार संयंत्र और मशीनरी की खरीद ई-निविदा (या तो जेम या केंद्रीय सार्वजनिक खरीद पोर्टल के जरिए) के माध्यम से की जाएगी। निदेशक/एमएसएमई-डीएफओ के कार्यालय प्रमुख तथा कार्यान्वयन एजेंसी के प्रतिनिधि समिति के सदस्य होंगे। अन्य सदस्यों के संबंध में निर्णय राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा।

4.01.8 परियोजना के पूरा होने की समयावधि:
परियोजनाओं को अनुमोदन आदेश की तारीख से 36 महीने के भीतर पूरा करना होगा।

4.01.9 राज्य सरकार मिनी प्रौद्योगिकी केंद्र के शासी निकाय में केंद्र सरकार के एक नामित व्यक्ति को शामिल करने के लिए प्रावधान रखेगी।

4.02 औद्योगिक संपदा का विकास:
औद्योगिक संपदा और फ्लैटेड फैक्ट्री परिसर के विकास के संबंध में संस्वीकृति की कार्यप्रणाली इस प्रकार होगी:

4.02.1 योजनान्तर्गत वित्तीय सहायता प्राप्त करने की इच्छुक राज्य सरकार एक प्रस्ताव तैयार करेगी और एक एजेंसी विशेषत उद्योग और वाणिज्य विभाग या परियोजना को लागू करने के लिए उद्यमों को बढ़ावा देने में लगे हुए संगठन की पहचान करेगी। यदि इस स्तर पर किसी प्रकार की सहायता आवश्यक हो तो वे विकास आयुक्त (एमएसएमई) का कार्यालय, नई दिल्ली से संपर्क कर सकते हैं।

4.02.2 इस प्रस्ताव में अवसंरचनात्मक सुविधाओं जैसे सड़कें; जलापूर्ति; जल संचयन; जल निकासी; बिजली, ईटीपी और प्रशासनिक सेवाएं जैसे कार्यालय भवन, दूरसंचार/साइबर केंद्र/प्रलेखन केंद्र, सम्मेलन हॉल/प्रदर्शनी

केंद्र, कच्चा माल भंडारण सुविधा, विपणन आउटलेट/प्राथमिक चिकित्सा केंद्र, क्रेच, कैंटीन सुविधाएं आदि के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता शामिल की जा सकती है। डीपीआर में परियोजना के अंतर्गत सहायता प्राप्त करने वाले एमएसएमई के राजस्व के प्रतिशत में वृद्धि पर परियोजना के आउटकम तथा सृजित रोजगार के अवसरों की संख्या पर अनुमान/प्रेक्षण भी शामिल होना चाहिए।

4.02.3 भारत सरकार को डीपीआर के साथ प्रस्ताव (अनुलग्नक-I बी में निर्धारित प्रारूप में) अग्रेषित करते समय राज्य सरकार निम्नलिखित प्रविष्टियां की पुष्टि करेगी:

(i) अपेक्षित आकार की उपयुक्त भूमि उपलब्ध है।

(ii) अनुमेय अनुदान और आवर्ती लागत से अधिक और शेष लागत राशि राज्य सरकार द्वारा वहन की जाएगी। परियोजना की वृद्धि संबंधी लागत, यदि कोई हो, राज्य सरकार द्वारा वहन की जाएगी।

(iii) डीपीआर पर हितधारकों की टिप्पणियों सहित संबंधित एमएसएमई-डीआई के माध्यम से प्रस्ताव अग्रेषित किया जाना चाहिए।

4.02.4 प्रस्ताव प्राप्त होने पर, विकास आयुक्त (एमएसएमई) का कार्यालय ऑनलाइन प्रस्ताव की जांच करेगा और विसंगति यदि कोई हो, तो उसे प्रस्ताव प्राप्त होने के 20 दिनों के भीतर राज्य सरकार को सूचित किया जाएगा। इसके बाद विकास आयुक्त (एमएसएमई) का कार्यालय 'परियोजना अनुमोदन और निगरानी समिति' (पीएएमसी) का अनुमोदन प्राप्त करने के लिए एक नोट तैयार करेगा (जैसा कि ऊपर 4.01.5 और 6 में विस्तार से उल्लेख किया गया है।)

4.02.5 पीएएमसी द्वारा प्रस्ताव को अनुमोदन प्रदान करने के पश्चात परियोजना की औपचारिक मंजूरी से राज्य सरकारों को अवगत करा दिया जाएगा। वित्तीय सहायता निम्नलिखित प्रक्रिया के अनुसार जारी की जाएगी;

क.) राज्य परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी को केंद्रीय सहायता जारी की जाएगी। कार्यान्वयन एजेंसी को निधियां कार्यान्वयन की योजना, की गई प्रगति, निधियों की आवश्यकता आदि के आधार पर अंतिम रूप से अनुमोदन प्राप्त होने के पश्चात तीन किश्तों में 50:40:10 के अनुपात में जारी की जाएगी। राज्य सरकार द्वारा आनुपातिक रूप से अग्रिम योगदान देने तथा उद्योग निदेशालय अथवा एमएसएमई के संवर्धन में लगे राज्य सरकार के किसी अन्य संगठन के प्रतिनिधियों तथा कार्यान्वयन एजेंसी के एक प्रतिनिधि को शामिल करते हुए संबंधित राज्य के एमएसएमई-डीएफओ के निदेशक कार्यालय प्रमुख की अध्यक्षता में गठित समिति की सिफारिश के पश्चात ही निधियां जारी की जाएगी।

ख.) क्रियान्वयन एजेंसी (आई ए) के सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों वाले परियोजना के लिए निर्धारित विशिष्ट बैंक खाते में धनराशि जारी की जाएगी।

ग.) कार्यान्वयन एजेंसियों को अगली किस्त जारी करने से पूर्व भारत सरकार की अनुदान राशि के लिए फॉर्म जीएफआर12 सी (अनुबंध-II के अनुसार) के रूप में समयबद्ध रूप से उपयोगिता प्रमाण पत्र (यूसी) जमा करना होगा तथा परियोजनाओं के पूरा होने के 6 माह के भीतर अंतिम उपयोगिता प्रमाण पत्र जमा करना होगा।

घ.) राज्य सरकार द्वारा गठित समिति द्वारा निर्धारित जीएफआर और सीवीसी दिशानिर्देशों के अनुसार संयंत्र और मशीनरी की खरीद ई-निविदा (या तो जेम {GeM} या केंद्रीय सार्वजनिक खरीद पोर्टल के जरिए) के माध्यम से की जाएगी। निदेशक/एमएसएमई-डीएफओ के कार्यालय प्रमुख तथा कार्यान्वयन एजेंसी के प्रतिनिधि समिति के सदस्य होंगे। अन्य सदस्यों के संबंध में निर्णय राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा।

4.02.6 परियोजना के पूरा होने की समयावधि:

परियोजनाओं को अनुमोदन आदेश की तारीख से 30 माह के भीतर पूरा करना होगा।

4.03 पर्यटन क्षेत्र का विकास:

पर्यटन क्षेत्र के विकास के संबंध में संस्वीकृति की पद्धति निम्नानुसार होगी:

4.03.1 योजनान्तर्गत वित्तीय सहायता प्राप्त करने की इच्छुक राज्य सरकार एक प्रस्ताव तैयार करेगी और एक एजेंसी अधिमानतः राज्य पर्यटन विकास एजेंसी अथवा पर्यटन विकास के लिए केंद्र/राज्य सरकार के स्वायत्तशासी निकाय/पर्यटन विकास निगम या पर्यटन क्षेत्र के विकास में लगे हुए राज्य सरकार के किसी संगठन की पहचान करेगा। यदि इस स्तर पर किसी प्रकार की सहायता आवश्यक है, तो वे विकास आयुक्त (एमएसएमई) का कार्यालय, नई दिल्ली से संपर्क कर सकते हैं।

4.03.2 राज्य सरकार एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार करेगी जिसमें क्षेत्र के पर्यटन की स्थिति और संभावना, प्रस्तावित स्थल, लक्षित क्षेत्र का मांग संबंधी विश्लेषण, परियोजना का उद्देश्य, दी जाने वाली सेवाएं, संगठनात्मक संरचना, पूंजीगत लागत (भवन, अन्य अवसंरचना सुविधाओं सहित संयंत्र और मशीनरी), प्रचालन व्यय, परियोजना की कुल अनुमानित लागत, निधियन पैटर्न, कार्यान्वयन एजेंसी, परियोजना की तकनीकी-आर्थिक व्यवहार्यता को दर्शाने वाला नकदी प्रवाह संबंधी विश्लेषण शामिल होगा। डीपीआर में परियोजना के अंतर्गत सहायता प्राप्त करने वाले एमएसएमई के राजस्व के प्रतिशत में वृद्धि पर परियोजना के आउटकम परिणाम तथा सृजित रोजगार के अवसरों की संख्या पर अनुमान/प्रेक्षण भी शामिल होना चाहिए। एमएसएमई-डीआई डीपीआर तैयार करने में राज्य सरकार की सहायता करेगा। राज्य सरकार किसी परियोजना के लिए आवश्यक संयंत्र और मशीनरी का विशेष रूप से उल्लेख करने हेतु एक समिति का गठन करेगी।

4.03.3 भारत सरकार को डीपीआर के साथ प्रस्ताव (अनुलग्नक-। बी में निर्धारित प्रारूप में) अग्रेषित करते समय राज्य सरकार निम्नलिखित की पुष्टि करेगी कि:
(i) अनुमेय अनुदान और आवर्ती लागत से अधिक और शेष लागत राशि राज्य सरकार द्वारा वहन की जाएगी। परियोजना की वृद्धि संबंधी लागत, यदि कोई हो, राज्य सरकार द्वारा वहन की जाएगी। (ii) डीपीआर पर हितधारकों की टिप्पणियों सहित संबंधित एमएसएमई-डीआई के माध्यम से प्रस्ताव अग्रेषित किया जाना चाहिए।

4.03.4 प्रस्ताव प्राप्त होने पर, विकास आयुक्त (एमएसएमई) का कार्यालय ऑनलाइन प्रस्ताव की जांच करेगा और विसंगति, यदि कोई हो, तो उसे प्रस्ताव प्राप्त होने के 20 दिनों के भीतर राज्य सरकार को सूचित किया जाएगा। डीपीआर को पर्यटन मंत्रालय को उनकी विधीक्षा के लिए अग्रेषित किया जाएगा। पर्यटन मंत्रालय द्वारा डीपीआर की विधीक्षा के पश्चात, विकास आयुक्त (एमएसएमई) का कार्यालय 'परियोजना अनुमोदन और निगरानी समिति' का अनुमोदन प्राप्त करने के लिए एक नोट तैयार करेगा (जैसा कि ऊपर 4.01.5 और 6 में विस्तार से उल्लेख किया गया है।)

4.03.5 पीएएमसी द्वारा प्रस्ताव को अनुमोदन प्रदान करने के पश्चात परियोजना की औपचारिक मंजूरी से राज्य सरकारों को अवगत करा दिया जाएगा।
क.) राज्य परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी को केंद्रीय सहायता जारी की जाएगी। कार्यान्वयन एजेंसी को निधियां कार्यान्वयन की योजना, की गई प्रगति, निधियों की आवश्यकता आदि के आधार पर अंतिम रूप से अनुमोदन प्राप्त होने के पश्चात तीन किश्तों में 50:40:10 के अनुपात में जारी की जाएगी। राज्य सरकार द्वारा आनुपातिक रूप से अग्रिम योगदान तथा उद्योग निदेशालय अथवा एमएसएमई के संवर्धन में लगे राज्य सरकार के किसी अन्य संगठन के प्रतिनिधियों तथा कार्यान्वयन एजेंसी के एक प्रतिनिधि को शामिल करते हुए संबंधित राज्य के एमएसएमई-डीएफओ के निदेशक/कार्यालय प्रमुख की अध्यक्षता में गठित समिति की सिफारिश के पश्चात ही निधियां जारी की जाएगी।
ख.) आईए के सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों वाले परियोजना विशिष्ट के लिए निर्धारित बैंक खाते में धनराशि जारी की जाएगी।
ग.) कार्यान्वयन एजेंसियों को अगली किस्त जारी करने से पूर्व भारत सरकार की अनुदान राशि के लिए फॉर्म जीएफआर12 सी (अनुबंध-॥ के अनुसार) के रूप में समयबद्ध रूप से उपयोगिता प्रमाण पत्र (यूसी) जमा करना होगा तथा परियोजनाओं के पूरा होने के 6 माह के भीतर अंतिम उपयोगिता प्रमाण पत्र जमा करना होगा।
घ.) राज्य सरकार द्वारा गठित समिति द्वारा निर्धारित जीएफआर और सीवीसी दिशानिर्देशों के अनुसार संयंत्र और मशीनरी की खरीद ई-निविदा (या तो जेम या केंद्रीय सार्वजनिक खरीद पोर्टल के जरिए) के माध्यम से की जाएगी। निदेशक/एमएसएमई-डीएफओ के कार्यालय प्रमुख तथा कार्यान्वयन एजेंसी के प्रतिनिधि समिति के सदस्य होंगे। अन्य सदस्यों के संबंध में निर्णय राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा।

4.03.6 परियोजना के पूरा होने की समयावधि:

परियोजनाओं को अनुमोदन आदेश की तारीख से 18 माह के भीतर पूरा करना होगा।

4.03.7 राज्य सरकार परियोजना के शासी निकाय में केंद्र सरकार द्वारा नामित एक व्यक्ति को शामिल करने के लिए प्रावधान करेगी।

5. अन्य प्रशासनिक व्यय

स्कीम के संचालन के लिए प्रभाव अध्ययन आदि के लिए बजट शीर्ष के अंतर्गत व्यय तथा अन्य प्रशासनिक व्यय को पूरा करने के लिए कुल अनुमोदित बजट के 5 प्रतिशत तक की राशि का उपयोग किया जा सकता है।

6.परियोजना के लिए समय विस्तार

राज्य सरकारें परियोजना को समयबद्ध सम्पन्न करने को सुनिश्चित करेंगी। हालांकि, विशेष परिस्थितियों में संबंधित राज्य के मुख्य सचिव की सिफारिश पर मंत्रालय द्वारा निम्नलिखित के अनुसार समय विस्तार दिया जा सकता है:

I. परियोजना पूरे होने की निर्धारित तिथि से छह माह तक अपर सचिव एंव विकास आयुक्त (एमएसएमई) द्वारा।

II. परियोजना की समाप्ति की निर्धारित तिथि से छह से एक वर्ष तक- सचिव(एमएसएमई) द्वारा।

III. परियोजना की समाप्ति की निर्धारित तिथि से एक वर्ष से अधिक –एमएसएमई के मंत्री /एमएसएमई के प्रभारी मंत्री द्वारा।

****

अनुबंध-Iक

पूर्वोत्तर/सिक्किम में मिनी प्रौद्योगिकी केंद्र हेतु केंद्रीय सहायता के लिए आवेदन करने का प्रारूप

सेवा में,
अपर सचिव एंव विकास आयुक्त (एमएसएमई),
एमएसएमई मंत्रालय,
विकास आयुक्त(एमएसएमई) का कार्यालय,
सांतवा तल, निर्माण भवन,
मौलाना आज़ाद रोड
नई दिल्ली 110108

विषय: **मिनी प्रौद्योगिकी केंद्रों उन्नयन के लिए/मिनी टूल रूमों की स्थापना/पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम में राज्यौंराज्य एजेंसियों को वित्तीय सहायता/**

महोदय,

उपर्युक्त योजना के तहत केंद्र सरकार की सहायता से__________ करोड़ रुपए की लागत वाली __________में मेसर्स _____________ द्वारा तैयार की गई विस्तृत परियोजना रिपोर्ट के आधार पर राज्य सरकार ने मिनी प्रौद्योगिकी केंद्र स्थापित/ मौजूदा केंद्र को उन्नयन करने के लिए निम्नलिखित विवरण के अनुसार प्रस्ताव अनुमोदित किया है:

क्र.सं.	मदें	रुपए (करोड़ में)
1	भूमि	-
2	बिल्डिंग (---- वर्ग मीटर)	-
3	मशीनरी/उपकरण/उपस्कार	-
4	अन्य पूंजीगत व्यय	-
5	प्रचालन पूर्व व्यय	-
6	आकस्मिक व्यय	-
	कुल:	

2. परियोजना का क्रियान्वयन ______ द्वारा किया जाएगा और फंडिंग का पैटर्न निम्नलिखित तरीके से होगा:-

(रुपए करोड़ में)

(क) भारत सरकार का अनुदान -

(ख) राज्य सरकार का भाग -
(भूमि के लागत सहित)

(ग) अन्य (निर्दिष्ट किया जाना है) -

3. इस प्रयोजन के लिए वर्ष ___ के लिए राज्य सरकार के बजट में___ करोड़ रुपए का आवश्यक प्रावधान किया गया है और किसी भी वृद्धि को राज्य सरकार के बजट से पूरा किया जाएगा।

4. आपसे अनुरोध है कि इस योजना के तहत केंद्रीय सहायता की संस्वीकृति प्रदान करें। विस्तृत परियोजना रिपोर्ट की प्रति अवलोकनार्थ संलग्न है।

भवदीय

सचिव/ उद्योग के निदेशक/
सक्षम प्राधिकारी

अनुबंध-Iख

पूर्वोत्तर/सिक्किम में औद्योगिक संपदा के विकास के लिए केन्द्रीय सहायता के लिए आवेदन का प्रारूप

सेवा में

अपर सचिव एवं विकास आयुक्त (एमएसएमई),
एमएसएमई मंत्रालय,
विकास आयुक्त(एमएसएमई) का कार्यालय,
सांतवा तल, निर्माण भवन, मौलाना आज़ाद रोड
नई दिल्ली 110108

विषय: **पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम में राज्योंफ्लैटेड फैक्टरी /राज्य एजेंसियों को औद्योगिक संपदा/ परिसरों के विकास के लिए वित्तीय सहायता**

महोदय,

उपर्युक्त योजना के तहत केंद्र सरकार की सहायता से__________ करोड़ रुपए की लागत वाली __________में मेसर्स _____________ द्वारा तैयार की गई विस्तृत परियोजना रिपोर्ट के आधार पर राज्य सरकार ने औद्योगिक संपदा को स्थापित करने के लिए निम्नलिखित विवरण के अनुसार प्रस्ताव अनुमोदित किया है:

क्र.सं.	सूचक मदें		रुपए (करोड़ में)
1.	भूमि विकास और अन्य भूम्योपरि अवसंरचना		
	(i)	दीवार / चहारदीवारी सहित भूमि भराई/समतलीकरण की लागत/ फ्लैटेड फैक्ट्री कॉम्प्लेक्स के लिए निर्माण की लागत	
	(ii)	सड़कें बनाने की लागत	
	(iii)	सड़क के किनारे हरियाली और सामाजिक वानिकी	
	(iv)	ऊपरी टैंक, और पंप हाउस सहित जल की आपूर्ति	
	(v)	जल संचयन	
	(vi)	जल निकासी	
	(vii)	विद्युत (उप-स्टेशन और स्ट्रीट लाइट आदि सहित वितरण नेटवर्क), गैर-पारंपरिक ऊर्जा का उत्पादन	
	(viii)	अन्य (स्वच्छता सुविधाएं आदि)	
		उप कुल**(1):**	

2.	प्रशासनिक और अन्य सेवा परिसर		
	(i)	प्रशासनिक कार्यालय भवन	
	(ii)	दूरसंचार / साइबर केंद्र / प्रलेखन केंद्र	
	(iii)	सम्मेलन हॉल/प्रदर्शनी केंद्र	
	(iv)	कच्चे माल के भण्डारण की सुविधा, विपणन-पटल अपषिष्ट	
	(v)	प्राथमिक चिकित्सा केंद्र, शिशु गृह, कैंटीन सुविधाएं	
		उप योग (2)	
	(vi)	अपशिष्ट सुविधा	
	(vii)	आकस्मिकताएं और पूर्ववर्ती व्यय	
		सकल योग **(1 + 2)**	

2. परियोजना __________ द्वारा कार्यान्वित की जाएगी और फंडिंग पैटर्न होगा:-

(करोड़ रुपये में)

(a) भारत सरकार से अनुदान -

(b) राज्य सरकार का हिस्सा (भूमि की लागत सहित) -

(c) अन्य (विनिर्दिष्ट किया जाना है) -

3. इस प्रयोजन के लिए वर्ष ___ के राज्य सरकार के बजट में___ करोड़ रुपए का आवश्यक प्रावधान किया गया है और इसमें होने वाली कोई भी वृद्धि राज्य सरकार के बजट से पूर्ण की जाएगी।

4. आपसे अनुरोध है कि योजना के तहत केंद्रीय सहायता की संस्वीकृति प्रदान की जाए। परियोजना की विस्तृत रिपोर्ट की प्रतिलिपि अवलोकनार्थ संलग्न है।

भवदीय

सचिव/औद्योगिक निदेशक/
सक्षम प्राधिकारी

अनुबंध - ग

पूर्वोत्तर/सिक्किम क्षेत्र के पर्यटन क्षेत्र में विकास हेतु केन्द्रीय सहायता के लिए आवेदन करने का प्रारूप

सेवा में,
अपर सचिव एवं विकास आयुक्त (एमएसएमई),
एमएसएमई मंत्रालय,
विकास आयुक्त (एमएसएमई) का कार्यालय,
7वां तल, निमार्ण भवन,
मौलाना आजाद रोड
नई दिल्ली, 110108

विषयः **पूर्वोत्तर और सिक्किम क्षेत्र में पर्यटन विकास केंद्र की स्थापना के लिए राज्य/राज्य एजेंसियों को वित्तीय सहायता।**

श्रीमान,

उपर्युक्त योजना के तहत केंद्र सरकार की सहायता से__________ करोड़ रुपए की लागत वाली __________में मेसर्स _____________ द्वारा तैयार की गई विस्तृत परियोजना रिपोर्ट के आधार पर राज्य सरकार ने पर्यटन विकास केंद्र को स्थापित करने के लिए निम्नलिखित विवरण के अनुसार प्रस्ताव अनुमोदित किया है:

क्र.सं.	मदें	रुपये (करोड़ में)
1	भूमि	
2	भवन(----------वर्ग मीटर)	-
3	मशीनरी/उपकरण	-
4	अन्य पूँजीगत व्यय	-
5	प्रचालन - पूर्व व्यय	-
6	आकस्मिक व्यय	-
	कुल:	

2. परियोजना_________________द्वारा कार्यान्वित की जाएगी और फंडिग पैटर्न होगा:-

(करोड़ रुपये में)

(a) भारत सरकार से अनुदान -

(b) राज्य सरकार का हिस्सा(भूमि की लागत सहित) -

(c) अन्य (विनिर्दिष्ट किया जाए) -

3. इस प्रयोजन के लिए वर्ष __________ के राज्य सरकार के बजट में_______ करोड़ रुपए का आवश्यक प्रावधान किया गया है और इसमें हुई कोई भी वृद्धि राज्य सरकार के बजट से पूर्ण की जाएगी।

4. आपसे अनुरोध है कि योजना के तहत केंद्रीय सहायता अधिकृत की जाए। परियोजना की विस्तृत रिपोर्ट की प्रतिलिपि अवलोकनार्थ संलग्न है।

5. इस प्रयोजन के लिए वर्ष _______ के राज्य सरकार के बजट में_______ करोड़ रुपए का आवश्यक प्रावधान किया गया है और किसी भी वृद्धि को राज्य सरकार के बजट से पूरा किया जाएगा।

6. आपसे अनुरोध है कि योजना के तहत केंद्रीय सहायता अधिकृत की जाए। परियोजना की विस्तृत रिपोर्ट की प्रतिलिप अवलोकनार्थ संलग्न है।

भवदीय

सचिव/औद्योगिक निदेशक/
सक्षम प्राधिकारी

अनुबंध-II

प्रपत्र

जीएफआर 12 - ग

(239 नियम देखें)

उपयोगिता प्रमाण पत्र का प्रपत्र

<table>
<tr><td>क्र.सं.</td><td>पत्र संख्या और दिनांक</td><td>राशि</td><td rowspan="4">प्रमाणित किया जाता है कि मार्जिन में दिए गए इस मंत्रालय/विभाग के पत्र संख्या-----------------------------दिनांक ______ ------------- के तहत ----------------------------- के पक्ष में_____ ______ ______------- वर्ष के दौरान संस्वीकृत अनुदान राशि तथा पूर्व वर्ष की व्यय न की गई शेष राशि में से, रु ______ राशि उपयोग की गई है (जिसके लिए इसे संस्वीकृत किया था) तथा वर्ष के अंत उपयोग नहीं की गई की शेष राशि परियोजनार्थ सरकार को (पत्र संख्या , दिनांक _______ -------------) को अभ्यर्पित कर दी गई है/जिसे अगले वर्ष_______ के दौरान देय अनुदान राशि के लिए समायोजित किया जाएगा।</td></tr>
<tr><td rowspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>कुल</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td></tr>
</table>

2. प्रमाणित किया जाता है कि जिन शर्तों के आधार पर सहायता अनुदान संस्वीकृत किया गया था/विधिवत पूरा कर लिया गया है/पूरा किया जा रहा है, मैंने स्वयं को संतुष्ट कर लिया है और मैंने यह पता लगाने के लिए निम्नलिखित जांचों को देखा है कि राशि को वास्तव में उसी उद्देश्य हेतु उपयोग किया गया है जिसके लिए इसे संस्वीकृत किया गया था।

दस्तावेजों की सूची जिन पर जांच आधारित है;

1. ---------
2. ……

हस्ताक्षर……………………………….

पद ------------------------------------

दिनांक --------------------------------

नोट: उपरोक्त उपयोगिता प्रमाण - पत्र योजना को विनियमित करने वाले प्रभाग के प्रशासनिक सचिव/वित्त सचिव द्वार प्रतिहस्ताक्षरित होना चाहिए।

पीएस : यूसी अलग से किए गए वास्तविक व्यय और स्टोर और संपत्ति के आपूर्तिकर्ताओं को, निमार्ण एजेन्सियों को दिए गए ऋण और अग्रिम राशि का खुलासा करेगा और योजना के दिशानिर्देशानुसार और योजना के उद्देश्यों को आगे बढ़ाने हेतु, जो चरण में व्यय का गठन नहीं करता है। इन्हें उपयोग के गए अनुदानों के रूप में माना जाएगा लेकिन आगे बढ़ाने की अनुमति दी जाएगी।